समाहरणालय, कटिहार

गोपनीय प्रशाखा

कँवल तनुज, भा०प्र०से०
जिला पदाधिकारी, कटिहार
☎ :- 06452-230581(O)
:- 06452-230583(R)
:- 91-9473191375
Fax No. :- 06452-230880
E-mail :- dm-katihar.bih@nic.in

—:: आदेश ::—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40–3/2020–डीएम–1(ए) दिनांक 15.04.2020 के अनुसार कोविड–19 महामारी के नियंत्रण हेतु प्रभावी लॉकडाउन की स्थिति में समेकित दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। आमजन की समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा कतिपय निर्धारित अतिरिक्त गतिविधियों को दिनांक 20.04.2020 से संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। इन गतिविधियों के संबंध में यह शर्त रखी गयी है कि संबंधित गतिविधियाँ कन्टेनमेन्ट जोन में लागू नहीं होगी ।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उपरोक्त प्रासंगिक आदेश दिनांक 15.04.2020 के आलोक में गृह विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 277 दिनांक 21.04.2020 के द्वारा COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी लॉकडाउन की स्थिति में प्रतिबंधित/अनुमान्य गतिविधियों के संबंध में दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में निम्नलिखित प्रकार की गतिविधियाँ 03.05.2020 तक लागू अथवा प्रतिबंधित रहेंगी।

1. **प्रतिबंधित कार्य एवं गतिविधियाँ :**
   1) समस्त घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें
   2) समस्त रेल परिचालन, सुरक्षा संबंधी छोड़कर।
   3) बस एवं सार्वजनिक परिवहन
   4) मेट्रो रेल सेवा
   5) अंतरजिला/अंतर्राज्यीय आवागमन, केवल चिकित्सकीय कारणों/कार्यों को छोड़कर
   6) समस्त शैक्षणिक संस्थान प्रशिक्षण एवं कोचिंग इंस्टीट्यूट बन्द रहेंगे।
   7) औद्योगिक एवं व्यवसायिक गतिविधियाँ जिनकी अनुमति हैं, को छोड़कर शेष बन्द रहेंगे।
   8) हास्पिटेलिटी सर्विसेज की अनुमति नहीं रहेगी, केवल जिनको विशेष अनुमति हो, वही चलेंगी।
   9) टैक्सी, ऑटो–रिक्शा एवं साईकिल रिक्शा एवं टैक्सी सेवाएँ
   10) सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिमनेजियम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल्स, इन्टरटेन्मेंट पार्क, थियेटर, बार एवं ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल्स एवं अन्य बन्द रहेंगे।
   11) सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/अन्य समारोह नहीं होंगे।
   12) सभी धार्मिक स्थल आमजन के लिए बन्द रहेंगे एवं धार्मिक कार्यों में कोई इकट्ठा नहीं होंगे।
   13) मृतकों के अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति से ज्यादा सम्मिलित नहीं होंगे।

20 अप्रैल, 2020 से प्रदेश में निम्न गतिविधियों को अनुमति दी जायेगी (वर्तमान एवं भविष्य में घोषित होने वाले कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर)

2. **(क) स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित) क्रियाशील रहेंगी :**
   1. अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसीन सुविधाएँ

2. डिस्पेंसरीज, केमिस्ट्स, फार्मेसीज, जनऔषधि केन्द्र और मेडिकल उपकरण की दुकानों सहित सभी प्रकार की दवा की दुकानें।
3. चिकित्सा प्रयोगशालाएँ और संग्रह केन्द्र।
4. फार्मास्युटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब्स, कोविड–19 से संबंधित अनुसंधान करने वाले संस्थान।
5. पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, टीका और दवा की बिक्री और आपूर्ति।
6. प्राधिकृत निजी प्रतिष्ठान, जो आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था के सहभागी हो या कोविड–19 की रोकथाम करते हैं, जिसमें होम केयर प्रोवाइडर, डायग्नोस्टिक्स, अस्पतालों में आपूर्ति करने वाली फर्मे शामिल हैं।
7. दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन की विनिर्माण इकाईयों उनके पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल और मध्यवर्ती सामग्री का उत्पादन।
8. चिकित्सा/स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढाँचे का निर्माण, एम्बुलेन्स उत्पादन सहित।
9. आवागमन (राज्य के अन्दर और बाहर)–सभी चिकित्सा और पशु चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्सों, पैरा मेडिकल स्टाफ, लैब तकनीशियन, मिड वाइफस व अन्य अस्पताल सहायता सेवाएँ, जिनमें एम्बुलेन्स भी शामिल हैं।

(ख) <u>कृषि और संबंधित गतिविधियाँ</u> :

(अ) सभी कृषि और बागवानी गतिविधियाँ पूरी तरह क्रियाशील रहेंगी,

1. किसानों/कृषि श्रमिकों द्वारा संचालित कृषि कार्य।
2. एमएसपी पर खरीद करने वाली सहित कृषि उत्पादों की खरीद में लगी हुई एजेन्सियाँ।
3. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित, राज्य सरकार या उद्योग द्वारा संचालित विपणन क्रियायें, ऐसी किसान/किसानों के समूह जो सीधे विपणन क्रियाओं का संचालन करते हैं/FPO को ऑपरेटिव आदि। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें ग्राम स्तर पर विकेन्द्रीकृत विपणन एवं खरीद को बढ़ावा दे सकती है।
4. कृषि मशीनरी की दुकानें एवं इसके स्पेयर पार्ट्स (इसकी आपूर्ति श्रृंखला सहित) इनसे संबंधित मरम्मत की दुकानें।
5. फॉर्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेन्टर।
6. उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों का विनिर्माण एवं खुदरा वितरण।
7. फसलों की कटाई/बनाई आदि से संबंधित कृषि मशीनें जैसे कम्बाइन हार्वेस्टर एवं अन्य कृषि/उद्यान के उपकरणों का आवागमन (राज्य के अन्दर और बाहर)।

(ब) <u>मत्स्य पालन</u> :

निम्नलिखित गतिविधियाँ क्रियाशील रहेंगी :

1. मछली पकड़ने/मत्स्य पालन उद्योग भी क्रियाशील होंगे जिसमें फीडिंग और रख–रखाव, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, बिक्री और विपणन शामिल है।
2. हैचरी, चारा संयंत्रण, वाणिज्यिक एक्वैरिया।
3. मछली/झींगा और मछली उत्पादन, मछली बीज/चारा और इनमें संलग्न श्रमिकों का आवागमन।

(स) <u>पशुपालन</u> :

निम्नलिखित गतिविधियाँ क्रियाशील होंगी :

1. दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा दूध और दुग्ध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री, परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला सहित।
2. पोल्ट्री फार्म, हैचरी और पशुधन गतिविधियों सहित पशुपालन फार्मों का संचालन।
3. मक्के और सोया जैसे कच्चे माल की आपूर्ति सहित पशु आहार विनिर्माण।
4. गौशालाओं सहित पशु आश्रय गृहों का संचालन।

3. **<u>वित्तीय क्षेत्र</u>** :

निम्नलिखित गतिविधियाँ क्रियाशील रहेंगी :–

1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और RBI द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों और संस्थाओं जैसे NPCL, CCIL, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों और स्टैंड एलोन प्राथमिक डीलर।
2. बैंक शाखाएँ और एटीएम, बैंकिंग संचालन हेतु आईटी वेन्डर्स, बैंकिंग Correspondents, एटीएम संचालन और नगदी प्रबंधन एजेन्सियाँ –
   (क) बैंक शाखाओं को डीबीटी नकद हस्तान्तरण के पूर्ण होने तक सामान्य कार्य अवधि के अनुसार काम करने की अनुमति।
   (ख) स्थानीय प्रशासन द्वारा बैंक शाखाओं के संचालन के समय पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी और बैंक–ग्राहकों द्वारा Social distancing और शान्ति व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। बैंक प्रबंधन ग्राहकों की भीड़ न होने देने के लिए ग्राहकों को समूह में बाँटकर उन्हें अलग–अलग समय नियत कर कार्य निष्पादन करेंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) एवं सेवा द्वारा अधिसूचित पूँजी एवं ऋण बाजार सेवायें।
4. IRDAI और बीमा कम्पनियाँ।

4. **<u>सामाजिक क्षेत्र</u>** :

निम्नलिखित गतिविधियाँ कार्यरत रहेंगी :–

1. बच्चों/दिव्यांग/मानसिक रूप से कमजोर/वरिष्ठ नागरिकों/निराश्रितों/महिलाओं/विधवाओं के लिए गृहों का संचालन।
2. Observation homes, after care homes और किशोर गृह
3. सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण तथा वृद्धावस्था/विधवा/स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की गयी पेंशन और भविष्य निधि सेवायें।
4. आँगनबाड़ियों का संचालन लाभार्थियों अर्थात् बच्चों, महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को घर पर ही 15 दिनों में एक बार खाद्य पदार्थों और पोषण का वितरण। लाभार्थी आँगनबाड़ी के नियमित क्रिया–कलापों में भाग नहीं लेंगे।

5. **<u>ऑन–लाईन शिक्षा/दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना</u>** :

1. समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे।
2. उक्त संस्थान ऑन–लाईन शिक्षा के माध्यम से शैक्षिक समय सारणी बना सकते हैं।
3. दूरदर्शन तथा अन्य शैक्षिक चैनलों का शिक्षा के उद्देश्य के लिए अधिकतम उपयोग किया जाय।

6. **<u>मनरेगा के अन्तर्गत कार्यों की अनुमति रहेगी।</u>**

1. सोशल डिस्टेसिंग व फेस मास्क पहनने का कड़ाई से पालन करते हुए मनरेगा के कार्यों को अनुमति दी जायेगी।
2. जल संरक्षण एवं सिंचाई के कार्यों को मनरेगा के अन्तर्गत प्राथमिकता दी जाय।
3. केन्द्र एवं राज्य सरकार की जल संरक्षण एवं सिंचाई के क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों को भी चलाया जाए तथा मनरेगा के साथ dovetail किया जाय।

7. **<u>सार्वजनिक उपयोगिता के क्षेत्र निम्नवत क्रियाशील रहेंगे</u>** :

1. तेल एवं प्राकृतिक गैस का क्षेत्र का संचालन, जिसमें शोधन, परिवहन, वितरण, भण्डारण तथा उनका रिटेल विक्रय यथा (पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, सी०एन०जी०, एल०पी०जी०, पी०एन०जी० आदि)।
2. ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादन, पारेषण तथा वितरण क्षेत्र हेतु समस्त कार्य क्रियाशील रहेंगे। विशेष रूप से विद्युत वितरण निगम के मीटर रीडरों को विशेष पास निर्गत किये जायेंगे।

3. डाक सेवा जिसमें डाकघर भी सम्मिलित हैं।
4. नगर निकाय तथा स्थानीय निकाय स्तर पर पेयजल, स्वच्छता एवं कूड़ा प्रबंधन आदि का संचालन।
5. दूरसंचार तथा इंटरनेट सेवाओं का संचालन।

8. **माल एवं वस्तुओं के यातायात तथा उसके लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति निम्नवत रहेगी :**
1. समस्त मालवाहक यातायात को अनुमति दी जाएगी।
2. माल एवं पार्सल रेलगाड़ी का संचालन होगा।
3. हवाई यातायात में राहत–बचाव तथा माल के परिवहन की अनुमति होगी।
4. समुद्री बन्दरगाहों तथा जलमार्गों के माध्यम से मालवाहक पोतों का यातायात आदि जिसमें कस्टम क्लियरेंस आदि अन्य औपचारिकतायें निहित है।
5. आवश्यक वस्तुओं जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ, रसोई गैस खाद्य पदार्थ, चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति निहित है, का परिवहन एवं संचालन होगा।

9. **आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निम्नवत अनुमान्य रहेगा :**
1. आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति श्रृखंला की समस्त सुविधायें चाहे वह उनके विनिर्माण से संबंधित हो या उनके थोक एवं फुटकर विक्रय से संबंधित हो, ऐसे समस्त बड़े एवं छोटे स्टोर अथवा ई–कामर्स कम्पनियों को व्यवसाय की अनुमति कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की शर्त के साथ दी जायेगी।
2. ऐसी दुकानें जिसमें किराना अथवा अन्य आवश्यक वस्तुओं का विक्रय किया जाता है, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें, खाद्य तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, पशुओं के चारे आदि की दुकानों के संचालन की अनुमति कड़ाई से सोशल डिस्टेंस रखने की शर्त के साथ प्रदान की जायेगी। यहाँ भी उनके खोलने एवं बन्द करने के समय का प्रतिबन्ध नहीं रहेगा।
3. जिला प्रशासन आवश्यक वस्तुओं के होम डिलवरी के क्रिया–कलापों को बढ़ावा देगा, ताकि लोगों के घरों से बाहर जाने की गतिविधियों को न्यूनतम किया जा सके।

10. **वाणिज्य और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान :**

सूची निम्नवत् है, क्रियाशील रहेंगे :–
1. प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रसारण डीटीएच एवं केबल सेवायें।
2. आई०टी० एवं आई०टी० संबंधी सेवायें, (अधिकतम पचास प्रतिशत मानव बल के साथ)।
3. डेटा एवं कॉल सेन्टर्स, केवल सरकारी कार्य–कलापों हेतु।
4. सरकारी मान्यता प्राप्त ग्राम पंचायत स्तर पर Commercial Service Centres
5. ई–वाणिज्यिक कम्पनियाँ एवं ई–वाणिज्यिक ऑपरेटर्स द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले वाहन आवश्यक अनुमति के द्वारा प्रयोग में लाये जा सकते है।
6. कुरियर सेवायें।
7. रेलवे स्टेशन, कन्टेनर डिपो पर स्थित शीत गृह/भंडार गृह, एकल यूनिट और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी अन्य इकाई के संचालन के अनुमति रहेगी।
8. निजी सुरक्षा सेवायें और सुविधा प्रबंध सेवायें जो कार्यालयीय एवं आवासीय रख–रखाव से संबंधित है।
9. ऐसे होटल और होमस्टे, लॉज, मोटेल ऐसे जहाँ पर्यटक/यात्री लॉक–डाउन के कारण फँसे हैं अथवा मेडिकल एवं आपातकालीन स्टॉफ, हवाई एवं समुद्री जहाजकर्मी आवासित हो।
10. Quarantine सुविधा के लिए चिन्हित/उपयोग में लाये गये स्थल
11. स्वनियोजित व्यक्तियों यथा इलेक्ट्रीशियन, आई०टी० रिपेयर्स, प्लम्बरर्स, मोटर मैकेनिक एवं बढ़ई।

GoTo 29

11. **औद्योगिक/औद्योगिक प्रतिष्ठान (सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठान) को निम्नवत् कार्य करने की अनुमति होगी** :

1. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक इकाइयाँ (जो नगर निकायों की सीमा के बाहर हैं)
2. SEZ, Export Oriented Units, औद्योगिक संस्थानों तथा औद्योगिक नगरियों में स्थित access control युक्त औद्योगिक इकाईयाँ, परन्तु इन्हें यथा संभव अपने कामगारों को अपनी ही इकाई में अथवा आस–पास ठहराने का प्रबंध करना होगा। कामगारों को ऐसी इकाइयों द्वारा लगाये गये इस हेतु विशेष वाहनों से लाया जायेगा।
3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयाँ।
4. आई०टी० हार्डवेयर की मैन्यूफैक्चरिंग इकाईयाँ।
5. सतत् प्रक्रिया वाली इकाईयाँ।
6. सभी प्रकार के पैकेजिंग मैटेरियल की उत्पादन/ इकाईयाँ।
7. तेल एवं गैस रिफाइनरी
8. ग्रामीण क्षेत्रों में ईट भट्ठे

12. **निम्नलिखित प्रकार के निर्माण कार्यों की अनुमति होगी** :

1. स्थानीय नगर निकायों की सीमा से बाहर स्थित पथ, सिंचाई, भवन तथा औद्योगिक प्रोजेक्ट तथा औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट
2. रिन्यूवेबिल ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं का निर्माण।
3. खनन एवं खनन उत्पाद तथा उस कार्य हेतु विस्फोट को आपूर्ति
4. स्थानीय नगर निकायों की सीमा में स्थित ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जहाँ कामगार निर्माण स्थल पर ही रहते हो और उनके बाहर से आवागमन की आवश्यकता न हो।

13. **व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति निम्न प्रकरणों में दी जाय** :

निजी वाहनों के आवश्यक सेवाओं के लिए परिचालन/आपातकालीन सेवाओं के लिए परिचालन की, चिकित्सकीय व पशु सेवाओं को सम्मिलित करते हुए, अनुमति प्रदान की जायेगी तथा चार पहिया वाहनों में ड्राईवर के अतिरिक्त पीछे की सीट पर मात्र एक व्यक्ति के लिए तथा दो पहिया वाहन में केवल वाहन चालक के लिए अनुमति होगी।

14. **भारत सरकार के कार्यालय तथा इसके स्वायत्त/अधीनस्थ कार्यालय निम्नानुसार खुले रहेंगे** :

1. रक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन व पूर्व चेतावनी संस्थाएँ (IMD, INCOIS, SASE, National Centre of Seismology, CWC) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) भारतीय खाद्य निगम, एन0सी0सी0, नेहरू युवा केन्द्र एवं सीमा शुल्क (Customs), बिना किसी अवरोध के (पूर्ण क्षमता के साथ) कार्य करेंगे।
2. अन्य मंत्रालय एवं विभाग तथा इनके नियंत्रणाधीन कार्यालय, उपसचिव एवं उससे ऊपर के अधिकारी की शत्–प्रतिशत् उपस्थिति के साथ तथा अन्य अधिकारियों की आवश्यकतानुसार 33 प्रतिशत् उपस्थिति के साथ।

15. **राज्य सरकार/स्वायत्त संस्थाएँ व स्थानीय निकाय निम्नानुसार खुलेंगे** :

1. पुलिस, होमगार्डस, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन व आपातकालीन सेवाएँ, आपदा प्रबंधन, कारागार एवं नगरीय निकाय बिना किसी सीमा के (पूर्ण क्षमता के साथ) कार्य करेंगे।
2. राज्य के अन्य विभाग सीमित संख्या में कर्मियों के साथ कार्य करेंगे। समूह "क" व "ख" के अधिकारी आवश्यकतानुसार उपस्थिति होंगे। समूह "ग" तथा इसके निम्न श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी सामाजिक दूरी का मानक सुनिश्चित करते हुए 33 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक दशा में सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी और इसके लिए आवश्यक अधिकारी/कर्मचारी नियोजित किए जायेंगे।

3. जिला प्रशासन एवं कोषागार (महालेखाकार के क्षेत्रीय अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) सीमित क्षमता (restricted staff) के साथ कार्य करेंगे। प्रत्येक दशा में सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी तथा इसके लिए आवश्यक अधिकारी/कर्मचारी नियोजित किए जायेंगे।
4. नई दिल्ली स्थित राज्यों के स्थानिक आयुक्त, केवल कोविड–19 संबंधी क्रिया–कलापों तथा आन्तरिक गतिविधियों विषयक क्रियाकलापों में सामंजस्य की सीमा तक कार्य करेंगे।
5. वन विभाग के अधीन उतने अधिकारी/कर्मचारी क्रियाशील होंगे जितने नर्सरी के संचालन व रख–रखाव, वन्य जीवन संरक्षण, वनों में आगजनी रोकने, पौधरोपण, पौधों की सिंचाई तथा वन क्षेत्र के अन्तर्गत पेट्रोलियम व यातायात संचालन के लिए आवश्यक होंगे।

16. **<u>व्यक्ति जिन्हें अनिवार्य रूप से क्वारन्टाइन में रखा जायेगा, निम्नवत है</u>** :–

1. ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी के निदेशानुसार निर्धारित अवधि के लिए कड़ाई से होम क्वारन्टाइन/संस्थागत क्वारन्टाइन में रहने के लिए निर्देशित किया गया हो।
2. क्वारन्टाइन का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा–188 के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई की जायेगी।
3. क्वारन्टाइन व्यक्ति जो भारत में दिनांक 15.02.2020 के बाद प्रवेश किये हैं और क्वारन्टाइन अवधि समाप्ति के पश्चात् कोविड–19 के परीक्षण में निगेटिव पाये गये हो, को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित SOP का पालन करते हुए क्वारन्टाइन से मुक्त किये जायेंगे।

सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है कि निर्दिष्ट National COVID-19 Directive (अनुलग्नक–1) का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। उक्त निदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/निकायों/संस्थाओं के विरूद्ध Disaster Management Act- 2005 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी एवं अर्थदंड की वसूली भी की जायेगी।

जिला पदाधिकारी
कटिहार।

ज्ञापांक '1100 /सी०, कटिहार दिनांक 21/04/2020 ई०।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ अग्रसारित।
प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी थानाध्यक्ष/ओ0पी0 अध्यक्ष को सूचित करने की कृपा की जाय।
प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला स्तरीय सभी विभाग के पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष/ओ0पी0 अध्यक्ष, कटिहार जिला को सूचनार्थ एवं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को सूचनार्थ एवं सभी संबंधित को ई–मेल के माध्यम से संसूचित करने के साथ जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

जिला पदाधिकारी
कटिहार।

Annexure I

National Directives for COVID-19 Management

The National Directives shall be enforced by the District Magistrate through fines and penal action as prescribed in the Disaster Management Act 2005.

PUBLIC SPACES

1. Wearing of face cover is compulsory in all public places, work places.
2. All persons in charge of public places, work places and transport shall ensure social distancing as per the guidelines issued by Ministry of Health and Family Welfare.
3. No organization /manager of public place shall allow gathering of 5 or more persons.
4. Gatherings such as marriages and funerals shall remain regulated by the District Magistrate.
5. Spitting in public spaces shall be punishable with fine.
6. There should be strict ban on sale of liquor, gutka, tobacco etc. and spitting should be strictly prohibited.

WORK SPACES

7. All work places shall have adequate arrangements for temperature screening and provide sanitizers at convenient places.
8. Work places shall have a gap of one hour between shifts and will stagger the lunch breaks of staff, to ensure social distancing.
9. Persons above 65 years of age and persons with co-morbidities and parents of children below the age of 5 may be encouraged to work from home.
10. Use of Arogya setu will be encouraged for all employees both private and public.
11. All organizations shall sanitize their work places between shifts.
12. Large meetings to be prohibited.

MANUFACTURING ESTABLISHMENTS

13. Frequent cleaning of common surfaces and mandatory hand washing shall be mandated.
14. No overlap of shifts and staggered lunch with social distancing in canteens shall be ensured.
15. Intensive communication and training on good hygiene practices shall be taken up.